न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **151/2025** दायर दिनाँक **05.05.2025**

वादीगण

1. दारा सिंह पुत्र हड़मान
2. नर्बदा देवी पुत्री हड़मान
3. बीरबल पुत्र हड़मान
4. भंवरी देवी पत्नी हड़मान
5. लिछमा पुत्री हड़मान

समस्त जाति बावरी निवासी तोषिणा तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना (राज.)

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार छोटी खाटू जरिये भूमिधारी राज्य सरकार

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री इस्लामुद्दीन एडवोकेट वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **04.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम तोषिणा, पटवार हल्का तोषिणा में खसरा संख्या 547 रकबा 0.5000 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 617 रकबा 0.5700 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि वादीगण की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्त सुदा अवस्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त खसरान में वादीगण व वादीगण के पूर्वज की कब्जा काश्त खातेदारी निरन्तर निर्बाध रूप से कायम होकर चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में हुए सेटलमेन्ट कर्मचारीयों ने उक्त खसरान भुमि बाबत बिना खातेदार वादीगण को नोटिस, सुचना दिये, बिना खातेदार वादीगण को सुने, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना मौके की जांच किये, बिना मौके की जांच रिपोर्ट तैयार किये ही कागजों में उक्त भूमि में से खसरा संख्या 617 रकबा 0.5700 हैक्टेयर की किस्म गै.मु. सड़क गलत तौर पर दर्ज कर दी गयी, जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता, सड़क नहीं है। जिससे उकत वादग्रस्त जायगा की गलत दर्ज किस्म गै. मु. सड़क को दुरूस्त कर सही किस्म बारानी प्रथम दुरूस्त का दर्ज किया जाना लाजमी होने से उक्त वाद पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का लाना लाजमी आया है।

वादीगण की प्रार्थना इस प्रकार है:–

डिक्री बाबत रेकर्ड दुरूस्ती बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमायी जावें कि वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्तसुदा वादग्रस्त खेत मौजा तोषिणा, पटवार हल्का तोषीणा के खसरा संख्या 617 रकबा 0.5700 हैक्टेयर भूमि की किस्म गलत दर्ज गै. मु. सड़क को दुरुस्त कर गै. मु. सड़क के स्थान पर सही किस्म बारानी प्रथम दुरूस्त हो कर उक्त अनुरूप किस्म बारानी प्रथम राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) छोटीखाटू के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/921 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार (भू.अ.) छोटीखाटू से प्रा[illegible]नुसार ग्राम तोषीणा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम त[illegible] के [illegible]रा संख्या 547 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म [illegible] 1 व खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क की [illegible] हिस्सा 1/5 पि. हड़मान, नर्मदा देवी हिस्सा 1/5, [illegible] हिस्सा 1/5 पुत्रियां हड़मान, भंवरी देवी पत्नि हड़मान हिस्सा 1/5 जाति बावरी सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तोषीणा के नाम रिकार्ड दर्ज है। भू–प्रबन्ध से पहले जमाबंदी चौसाला 2071–74 में खसरा संख्या 880 रकबा 6.13 बीघा की खातेदारी हड़मान पुत्र बिशना जाति बावरी के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। तत्पश्चात भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा संख्या 880 (पुराना) रकबा 6.13 बीघा के दो टुकड़े कर नया खसरा संख्या 547 रकबा 0.50 हैक्टेयर बारानी 1 व खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर गै.मु. सड़क दर्ज किया गया। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 334 दिनांक 22.07.2024 (विरासत) से खसरा संख्या 617 व 547 की खातेदारी दारा सिंह हिस्सा 1/5, बीरबल हिस्सा 1/5 पि. हड़मान, नर्मदा देवी हिस्सा 1/5, लिछमा हिस्सा 1/5 पुत्रियां हड़मान भंवरी देवी पत्नि हड़मान हिस्सा 1/5 के नाम रिकार्ड दर्ज हुई। जो आज दिनांक तक दर्ज है। भू. प्रबन्ध से पूर्व उक्त खसरा संख्या 880 (पुराना) रकबा 6.13 बीघा एक ही खसरा था। उक्त खसरे के दक्षिणी सींव पर एक कदमी रास्ता के रूप में सड़क चल रही थी, जो वर्तमान में भी चल रही है तथा वर्तमान में उक्त सड़क पर सीमेन्ट के ब्लॉक लगे हुए हैं। वर्तमान में उक्त सड़क की चौड़ाई लगभग 9 मीटर है। उक्त चौड़ाई के अनुसार उक्त खसरा नम्बर में सड़क भूमि का क्षैत्रफल 0.16 हैक्टेयर बनता है। जबकि भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से सड़क भूमि का क्षेत्रफल खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जो गलत व अशुद्ध है। वर्तमान मौके अनुसार खसरा संख्या 617 का रकबा 0.57 हैक्टेयर के स्थान पर 0.16 हैक्टेयर किया जाना उचित है तथा वर्तमान मौका स्थिति अनुसार खसरा संख्या 547 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 के स्थान पर खसरा संख्या 547 रकबा 0.91 हैक्टेयर बारानी 1 व खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क के स्थान खसरा संख्या 617 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क रिकार्ड में दर्ज कर नक्शे में शुद्ध तरमीम किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी सरहद तोषीणा के खेत खसरा संख्या 617 रकबा 0.5700 हैक्टेयर की भूमि की किस्म गलत दर्ज गै. मु. सड़क को दुरुस्त कर गै. मु. सड़क के स्थान पर सही किस्म बारानी प्रथम दुरुस्त हो कर उक्त अनुरूप किस्म बारानी प्रथम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार छोटी खाटू की रिपोर्ट के अनुसार सरहद तोषीणा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम तोषीणा के खसरा संख्या 547 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 व खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म गै. मु. सड़क की खातेदारी वादीगण के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। भू प्रबन्ध से पहले जमाबंदी चौसाला 2071–74 में खसरा संख्या 880 रकबा 6.13 बीघा की खातेदारी हड़मान पुत्र बिशना जाति बावरी के नाम रिकॉर्ड दर्ज थी। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा संख्या 880 (पुराना) रकबा 6.13 बीघा के दो टुकड़े कर नया खसरा संख्या 547 रकबा 0.50 हैक्टेयर बारानी 1 व खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर गै. मु. सड़क दर्ज किया गया। भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त खसरा संख्या 880 (पुराना) के दक्षिणी सींव पर एक कदमी रास्ता के रूप में सड़क चल रही थी, जो वर्तमान में भी चल रही है तथा वर्तमान में उक्त सड़क पर सीमेन्ट के ब्लॉक लगे हुए है तथा वर्तमान में उक्त सड़क की चौड़ाई लगभग 9 मीटर है। उक्त चौड़ाई के अनुसार उक्त खसरा में से सड़क भूमि का क्षेत्रफल लगभग 0.16 हैक्टेयर बनता है। जबकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा में से सड़क

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

भूमि का क्षेत्रफल खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जो कि गलत व अशुद्ध है। वर्तमान मौके अनुसार खसरा संख्या 617 का रकबा 0.57 हैक्टेयर के स्थान पर 0.16 हैक्टेयर किया जाना उचित है। वादी भू प्रबन्ध के दौरान रेकर्ड में गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भू प्रबंध के दौरान राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन का स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद तोषीणा के खेत खसरा संख्या 547 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 के स्थान पर खसरा संख्या 547 रकबा 0.91 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 व खसरा संख्या 617 रकबा 0.57 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क के स्थान पर खसरा संख्या 617 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क रिकॉर्ड में दर्ज कर नक्शे में शुद्ध तरमीम किया जाने बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **04.08.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested